विशिष्ट पोतलदान पॉलिसीयों -- अल्पावधि (वि पो पॉ - अ व)

>> कौन वि.पो.पॉ. - अ.व. प्राप्त कर सकता है ?
>> वि.पो.पॉ (अ.व.) के विभिन्न प्रकार क्या हैं ?
>> वि पो पॉ (अ.व.) के अंतर्गत संरक्षित विभिन्न जोखिम क्या हैं ?
>> वि पो पॉ (अ व) के अंतर्गत किन जोखिमों पर रक्षा प्रदान नहीं की जाती ?
>> वि पो पॉ (अ.व.) को प्राप्त करने के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया क्या है ?
>> वे कौनसे पोतलदान है जिन्हें वि पो पॉ (अ व) के अंतर्गत रक्षा प्रदान की जा सकती है ?
>> वि पो पॉ (अ व) की वैधता अवधि क्या है ?
>> वि.पो.पॉ.(अ.व.) द्वारा प्रदान की जानेवाली रक्षा का प्रतिशत क्या है ?
>> वि पो पॉ (अ व) के अंतर्गत ई सी जी सी की अधिकतम देयता क्या होगी ?
>> वि पो पॉ (अ व) के लिए कार्यवाही शुल्क व प्रीमियम की अदायगी कब की जाए ?
>> लागू प्रीमियम दरें क्या है ?
>> किन परिस्थितियों में वि पो पॉ (अ.व.) की रक्षा वापस ली जा सकती है ?
>> क्या वि पो पॉ (अ व) के अंतर्गत वैधता अवधि में विस्तार प्राप्त करना संभव है ?
>> वि पो पॉ (अ व) धारक निर्यातक के दायित्व क्या है ?
>> वि पो पॉ (अ व) के अंतर्गत हानि का अभिनिश्चयन कब किया जाता है ?
>> वि पो पॉ (अ व) के अंतर्गत निर्यातक दावा कब दायर कर सकता है ?
>> वि पो पॉ (अ व) के अंतर्गत दावे की अदायगी के उपरांत निर्यातक को वसूली हेतु क्या कार्रवाई करनी चाहिए ?
>> कब वि पो पॉ (अ व) बन्द की जाएगी ?

विशिष्ट पोतलदान पॉलिसीयों -- अल्पावधि (वि पो पॉ - अ व)

>> कौन वि.पो.पॉ. - अ.व. प्राप्त कर सकता है ?

विशिष्ट पोतलदान पॉलिसी - अल्पावधि (वि पो पॉ - अ व) भारतीय निर्यातक को १८० दिनों तक के अल्पावधि ऋण पर माल के निर्यात में निहित वाणिज्यिक व राजनीतिक जोखिम पर रक्षा प्रदान करती है । निर्यातक इन पॉलिसियों के अंतर्गत संविदा के अधीन खरीदार को किए जानेवाले पोतलदानों पर रक्षा ले सकता है ।

ये पॉलीसियाँ इनके द्वारा ली जा सकती हैं (i) निर्यातक जिन्होंने पो व्या जो पॉलिसी नहीं ली है (ii) निर्यातक जिनके पास पो व्या जो पॉलिसी है, उन पोतलदानों के संबंध में जिन्हें पो व्या जो पॉलिसी के सीमा क्षेत्र से अपवर्जित करने की अनुमति दी गई है ।

>> वि.पो.पॉ (अ.व.) के विभिन्न प्रकार क्या हैं ?

क) विशिष्ट पोतलदान (वाणिज्यिक व राजनीतिक जोखिम) पॉलिसी - अल्पावधि

ख) विशिष्ट पोतलदान (राजनीतिक जोखिम) पॉलिसी - अल्पावधि

ग) विशिष्ट पोतलदान (साख पत्र खोलनेवाले बैंक का दिवालियापन अथवा चूक तथा राजनीतिक जोखिम) पॉलिसी - अल्पावधि

>> वि पो पॉ (अ.व.) के अंतर्गत संरक्षित विभिन्न जोखिम क्या हैं ?

(i) वाणिज्यिक जोखिम : (उपर्युक्त २ (क) प्रकार की वि पो पॉ - अ व पॉलिसियों के लिए)

- खरीदार का दिवालियापन
- निर्धारित अवधि सामान्यतया देय तारीख से ४ महीने के भीतर देयों के भुगतान में खरीदार की असफलता
- माल को स्वीकार करने में खरीदार की असफलता (कुछ शर्तों के अधीन)

(ii) राजनीतिक जोखिम (सभी प्रकार के वि पो पॉ - अ व पॉलिसियों के लिए)

- खरीदार के देश की सरकार द्वारा प्रतिबंध लागू करना अथवा सरकार की ऐसी कार्रवाई जिससे खरीदार द्वारा किया जानेवाला भुगतान अवरूद्ध हो अथवा अंतरण में विलंब हो ।
- खरीदार के देश में युद्ध, गृह युद्ध, विद्रोह अथवा नागरिक उपद्रव
- नए आयात प्रतिबंध अथवा वैध आयात लाईसेंस को रद्द करना
- भारत के बाहर समुद्री यात्रा में अवरोध जिसके परिणाम स्वरूप अतिरिक्त भाड़ा अथवा बीमा शुल्क की अदायगी करनी पड़े व जिसकी खरीदार से वसूली नहीं की जा सकती ।
- भारत के बाहर हुई हानि का कोई अन्य कारण जिसे सामान्यतया साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा बीमा रक्षा प्रदान नहीं की जाती तथा जो निर्यातक व खरीदार दोनों के नियंत्रण के बाहर हों ।

iii) साख-पत्र खोलने वाले बैंक का दिवालियापन व चूक
(उपर्युक्त २(ग) प्रकार की वि पो पॉ - अ व पॉलिसियों के लिए)

- साख-पत्र खोलनेवाले बैंक का दिवालियापन
- साख-पत्र खोलनेवाले बैंक का, निर्धारित अवधि, सामान्यतया देय तारीख से ४ महीने के भीतर भुगतान करने में असफल होना

>> वि पो पॉ (अ व) के अंतर्गत किन जोखिमों पर रक्षा प्रदान नहीं की जाती ?

- खरीदार द्वारा उठाए गए गुणवत्ता विवाद सहित वाणिज्यिक विवाद, जब तक खरीदार के देश में किसी सक्षम न्यायालय से निर्यातक अपने पक्ष में डिक्री प्राप्त न कर ले ।
- माल के स्वरूप में निहित कारण
- अपने देश के प्राधिकारियों से आवश्यक आयात अथवा विनिमय प्राधिकरण प्राप्त करने में खरीदार की असफलता
- निर्यातक के किसी एजेंट अथवा वसूलीकर्ता बैंक का दिवालियापन
- माल की हानि अथवा क्षति
- विनिमय दर घटबढ़
- निर्यात संविदा की शर्तों को पूरा करने में निर्यातक द्वारा असफल होना अथवा उसकी ओर से हुई कोई लापरवाही
- साख पत्र खोलनेवाले बैंक द्वारा बताई गई विसंगति के कारण साख पत्र के अंतर्गत भुगतान न किया जाना

>> वि पो पॉ (अ.व.) को प्राप्त करने के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया क्या है ?

निर्यातक द्वारा साख पत्र अथवा संबद्ध संविदा की प्रति के साथ निर्धारित फॉर्म में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए । अलग-अलग वि पो पॉ - अ व पॉलिसियों के लिए अलग-अलग प्रस्ताव फॉर्मों का उपयोग किया जाए । सामान्यतया प्रस्ताव, पोतलदान करने के पूर्व प्रस्तुत किए जाने चाहिए तथा रक्षा, प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से प्रदान की जाएगी । तथापि, पहले ही किए गए पोतलदान के लिए यदि निर्यातक संपर्क करता है, पॉलिसी जारी करने पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख व पोतलदान की तारीख में १५ दिनों से अधिक अंतर न हो । यह इस शर्त पर होगा कि प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख तक ऐसी कोई घटना नहीं जिसका पोतलदान के भुगतान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

>> वे कौनसे पोतलदान है जिन्हें वि पो पॉ (अ व) के अंतर्गत रक्षा प्रदान की जा सकती है ?

निर्यातक किसी संविदा विशेष के अंतर्गत एक अथवा अधिक पोतलदानों पर रक्षा का विकल्प चुन सकता है । यह संविदा की वैधता के भीतर दी गई अवधि के दौरान किए गए पोतलदानों पर रक्षा का चयन कर सकता है । उदाहरणार्थ यदि निर्यातक को माल की आपूर्ति हेतु किसी अवधि के भीतर जैसे एक वर्ष के लिए संविदा प्राप्त होती है तो वह ९० दिनों अथवा १८० दिनों के भीतर किए जानेवाले पोतलदानों के पहली खेप के पोतलदान

के लिए रक्षा का चयन कर सकता है । वह अगले पोतलदानों पर बाद की तारीख के किसी अन्य विशिष्ट पॉलिसी के अंतर्गत रक्षा का विकल्प ले सकता है ।

>> वि पो पॉ (अ व) की वैधता अवधि क्या है ?

पॉलिसी उन पोतलदानों के लिए वैध होगी जो प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से पोतलदान के लिए संबद्ध संविदा के अंतर्गत अनुमत अंतिम तारीख तक के बीच किए गए हों । यदि निर्यातक किसी अवधि विशेष के दौरान किए गए पोतलदानों पर रक्षा का चयन करता है तो पॉलिसी उसी अवधि के लिए जारी की जाएगी । यदि पॉलिसी उस पोत-लदान को रक्षा प्रदान करने के लिए लागू की जाए जो प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पहले ही किया जा चुका है तो पॉलिसी केवल उस पोतलदान के लिए ही वैध होगी । यदि प्रस्ताव, संविदा के अंतर्गत पहले ही किए गए पोतलदान तथा उसी संविदा के अंतर्गत बाद में किए जानेवाले पोतलदानों पर रक्षा के लिए है तो पॉलिसी पहले ही किए गए पोतलदान की तारीख से संविदा की अवधि तक अथवा निर्यातक द्वारा इच्छित अवधि तक जो भी पहले हो, जारी की जाएगी ।

>> वि.पो.पॉ.(अ.व.) द्वारा प्रदान की जानेवाली रक्षा का प्रतिशत क्या है ?

पॉलिसी के अंतर्गत सामन्यतया उपलब्ध रक्षा का प्रतिशत खुली रक्षावाले देशों के लिए संरक्षित पोतलदानों के सकल बीजक मूल्य के ८०% होगा । तथापि, देय प्रीमियम की राशि में व अधिकतम देयता की राशि में समानुपातिक कटौती के साथ कम प्रतिशत की रक्षा वाली पॉलिसी भी जारी की जा सकती है । प्रतिबंधित रक्षा की श्रेणी के अंतर्गत आनेवाले देशों के संबंध में रक्षा का प्रतिशत, संबद्ध समय में उस देश पर लागू हामीदारी पॉलिसी पर आधारित होगा ।

>> वि पो पॉ (अ व) के अंतर्गत ई सी जी सी की अधिकतम देयता क्या होगी ?

अधिकतम देयता (अ.दे.) वह सीमा है जहाँ तक ईसीजी, किसी पॉलिसी के अंतर्गत देयता स्वीकार करता है तथा जिसकी गणना पॉलिसी के अंतर्गत संरक्षित पोतलदानों के सकल बीजक मूल्य के स्वीकृत रक्षा के प्रतिशत को लागू करते हुए की जाती है । यदि मूल संविदा में संशोधन द्वारा अधिकतम देयता में वृद्धि आवश्यक है, पॉलिसी का पृष्ठांकन जारी करके अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करने के अधीन उस पर विचार किया जा सकता है ।

>> वि पो पॉ (अ व) के लिए कार्यवाही शुल्क व प्रीमियम की अदायगी कब की जाए ?

निर्यातक द्वारा प्रस्ताव के साथ १,०००/- रू. का न लौटाया जाने वाला कार्रवाई शुल्क अदा किया जाना चाहिए । निर्यातक द्वारा लागू निर्धारित दर से वि पो पॉ - अ व के लिए प्रीमियम पॉलिसी जारी करते समय पहले ही अदा किया जाना चाहिए तथा पॉलिसी प्रस्तुत करते समय १,०००/- रू. (एक हज़ार रुपये मात्र) कम अदा किए जाएँ । प्रीमियम, सकल बीजक मूल्य पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तारीख पर प्रचलित दर में परिवर्तित रुपयों में चार्ज किया जाएगा । जहाँ निर्यातक ने किसी अवधि विशेष के दौरान किए जानेवाले पोतलदान को रक्षा प्रदान करने का चयन किया है, प्रीमियम उस चयनित अवधि के दौरान किए जानेवाले निर्धारित पोतलदान के लिए चार्ज किया जाएगा । यदि निगम द्वारा प्रस्ताव खरीदार पर किसी प्रतिकूल रिपोर्ट अथवा किसी अन्य कारण से स्वीकार नहीं किया जाता तो निर्यातक को इसकी सूचना दी जाएगी ।

>> लागू प्रीमियम दरें क्या है ?

प्रीमियम दर, भुगतान की शर्तें, खरीदार के देश का वर्गीकरण तथा पोतलदान के व्यापक जोखिम अथवा राजनीतिक जोखिम पर रक्षा प्रदान करने के आधार पर अलग-अलग होती हैं । किसी विशेष सौदे के लिए प्रीमियम दर की गणना हेतु प्रीमियम कॅलक्यूलेटर पर जाएँ यहाँ क्लिक करें ।

>> किन परिस्थितियों में वि पो पॉ (अ.व.) की रक्षा वापस ली जा सकती है ?

खरीद अथवा उसके देश पर कोई प्रतिकूल अनुभव / रिपोर्ट, के मामले में ई सी जी सी अथवा निर्यातक रक्षा वापस ले सकते हैं । इस प्रकार की वापसी के पूर्व किए गए पोतलदानों के लिए रक्षा उपलब्ध होगी ।

>> क्या वि पो पॉ (अ व) के अंतर्गत वैधता अवधि में विस्तार प्राप्त करना संभव है ?

यदि निर्यातक संविदा की वैधता के भीतर पोतलदान करने में असफल होता है तो वह संविदा में विधिवत विस्तार करने के उपरांत पॉलिसी की वैधता अवधि में विस्तार हेतु आवेदन कर सकता है ।

>> वि पो पॉ (अ व) धारक निर्यातक के दायित्व क्या है ?

(i) **किए गए पोत लदानों के विवरणों की प्रस्तुती :** निर्यातक द्वारा संविदा, जिस पर पॉलिसी के अधीन रक्षा उपलब्ध है, के अंतर्गत उसके द्वारा पिछले माह के दौरान किए गए पोतलदानों का विवरण प्रत्येक

माह की १५ तारीख को अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए । यदि पोतलदान, जिसके लिए रक्षा की आवश्यकता है, पहले ही किया जा चुका है तो इस विवरण के प्रस्ताव के साथ ही प्रस्तुत किया जाए ।

(ii) **अतिदेय के विवरण की प्रस्तुती :** निर्यातक को संविदा के अंतर्गत संरक्षित पोतलदानों जो कि पिछले माह के अंत तक देय तारीख से तीस दिनों से अधिक के लिए अतिदेय रहे हैं, पर भुगतानों के विवरण प्रत्येक माह की १५ तारीख तक प्रस्तुत करना चाहिए ।

(iii) **जोखिम को प्रभावित करनेवाली घटनाओं की सूचना :** यदि निर्यातक को किसी ऐसी घटना की जानकारी हो जिससे जोखिम होने की संभावना है उसे इसकी सूचना ईसीजीसी को तत्काल व हर हाल में ३० दिनों के भीतर देनी चाहिए ।

(iv) हानि को कम करने के लिए कार्रवाई : किसी भी पोतलदान के लिए भुगतान न होने पर तत्काल कार्रवाई की जाए । पोतलदान जिसके लिए पॉलिसी ली गई है, पर भुगतान न किए जाने के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होते ही सिफारिश की गई कार्रवाई सहित निगम द्वारा हानि से बचने/कम करने के लिए निर्यातक द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी । हानि को कम करने / बचने के लिए की जानेवाली कार्रवाई प्रत्येक मामले के तथ्यों व परिस्थितियों पर आधारित होगी । तत्काल की जानेवाली कार्रवाई निम्नानुसार है :

- भुगतान करने के लिए खरीदार के पीछे पड़ना व साथ ही भुगतान न करने के लिए बिल को नोट व प्रसांक्ष्यित करते हुए उसपर वसूली अधिकार बनाए रखना
- उचित कारण के बिना, बिल की देय तारीख में किसी प्रकार के विस्तार देने के लिए सहमत न होना । इस प्रकार के विस्तार हेतु निगम का पूर्व अनुमोदन लिया जाना चाहिए । विस्तार करते समय यदि निगम कोई शर्त रखता है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसका अनुपालन किया जा रहा है ।
- यदि खरीदार द्वारा दस्तावेजों / माल को स्वीकार नहीं किया गया है, तो माल की सुरक्षा के लिए उचित उपाय तथा मूल खरीदार को नोटिस देने के पश्चात वैकल्पिक खरीदार को उनकी बिक्री के उचित उपाय किए जाएँ । पुनर्बिक्री के लिए निगम का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है । यदि हानि, सकल बीजक मूल्य के २५% से अधिक होने की संभावना है ।
- यदि पुनर्बिक्री संभव नहीं है, तो निगम के पूर्व अनुमोदन से माल को भारत में वापस लाने के उचित उपाय किए जाएँ (यदि हानि सकल बीजक मूल्य के २५% है तो इस प्रकार की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है)

- जब तक खरीदार चूकाधीन बिल के लिए भुगतान नहीं करता, उसे आगे पोतलदान करने से बचें ।

>> वि पो पॉ (अ व) के अंतर्गत हानि का अभिनिश्चयन कब किया जाता है ?

सामान्यतया हानि का अभिनिश्चयन, देय तारीख के ४ महीनों के पश्चात किया जाए । दिवालियापन जोखिम के मामले में रिसीवर द्वारा कर्ज की स्वीकृति की तारीख से एक महीने अथवा देय तारीख से ४ महीने जो भी पहले हो के पश्चात हानि अभिनिश्चित की जाएगी । जहाँ रिसीवर द्वारा कर्ज की स्वीकृति शेष है, वहाँ निर्यातक द्वारा यह उल्लेख करते हुए वचन लिया जाए कि निर्यातक ने ऐसा कुछ नहीं किया है अथवा ऐसा कुछ नहीं छोड़ा है जिससे दिवालिया संपत्ति पर उसका दावा अस्वीकार्य हो । जहाँ हानि माल के स्वीकार न करने के कारण हुई हो, हानि का अभिनिश्चयन केवल तब होगा जब निगम के अनुमोदन से माल की पुनर्बिक्री कर दी गई हो अथवा माल का निपटान कर दिया गया हो, किसी भी मामले में भुगतान की देय तारीख के ४ महीनों के पश्चात हानि अभिनिश्चित की जाएगी ।

>> वि पो पॉ (अ व) के अंतर्गत निर्यातक दावा कब दायर कर सकता है ?

पॉलिसी के अंतर्गत हानि के पता लगने के पश्चात निर्यातक कभी भी दावा दायर कर सकता है किन्तु वह दावाधीन पोतलदान के लिए भुगतान की देय तारीख से एक वर्ष के भीतर हो ।

>> वि पो पॉ (अ व) के अंतर्गत दावे की अदायगी के उपरांत निर्यातक को वसूली हेतु क्या कार्रवाई करनी चाहिए ?

दावे के भुगतान के पश्चात निर्यातक निगम द्वारा अनुबद्ध कार्रवाई यदि कोई है सहित अन्य कार्रवाई करते हुए खरीदार से देयों की वसूली के उपाय जारी रखेगा । देयों की वसूली हेतु किए गए व्यय का वसूली पर पहला हक होगा । वसूल की गई किसी राशि का बँटवारा निगम व निर्यातक के बीच उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में हानि का बँटवारा किया गया था ।

>> कब वि पो पॉ (अ व) बन्द की जाएगी ?

वि.पो.पॉ.अ.व. पॉलिसी जारी करते समय निर्यातक से यह अनुरोध करते हुए कि, जब वह खरीदार अथवा साख-पत्र खोलने वाले बैंक से भुगतान प्राप्त कर लेता है तब उसकी सूचना निगम को देगा "भुगतान संज्ञापन पर्ची" (भु.सं.प.) संलग्न करेगा । यदि निर्यातक पोतलदान के विवरण भेजता है किन्तु भुगतान संज्ञापन पर्ची भेजने में चूक जाता है तथा यदि निर्यातक से निर्धारित अवधि के भीतर कोई अतिदेय विवरण प्राप्त नहीं होता तो यह समझते हुए कि खरीदार से भुगतान प्राप्त किया जा चुका है, पॉलिसी बन्द करने की कार्रवाई आरंभ की

जाएगी । यदि पॉलिसी की समाप्ति की तारीख तक पोतलदानों का विवरण अथवा विस्तार निवेदन अथवा वापसी का अनुरोध प्राप्त नहीं होता है तो पॉलिसी बंद करने के लिए कार्रवाई की जाएगी ।

विशिष्ट पोतलदान पॉलिसी के लिए प्रस्ताव फॉर्म को डाउन लोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें ।
आगे और स्पष्टीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें ।